

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017


क्रमांक एफ-10-13/2017/वाक/पांच (18) - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-44/2016/वाक/पांच (78), दिनांक 30 नवंबर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अंक "28.02.2017" के स्थान पर, अंक "30.06.2017" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 10/3/2017

क्रमांक एफ-10-13/2017/वाक/पांच (18)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-13/2017/वाक/पांच (18), दिनांक 10/3/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

**Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated : 10.3.2017


No. F-10- 13/2017/CT/V (18) - In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-44/2016/CT/V (78), dated 30th November 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures "28.02.2017", the figures "30.06.2017" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(A.P. Tripathi)
Special Secretary